मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को स्पष्ट संकेत दिए कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया जाएगा और सरकार इसे इसी सत्र में पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

डा.यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में संकेत दिए कि सरकार यूसीसी विधेयक इसी सत्र में विधानसभा में लाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो यह इसी सत्र में पारित भी हो जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि राज्य सरकार यूसीसी को लेकर केवल चर्चा के स्तर पर नहीं, बल्कि उसे कानून का स्वरूप देने की ठोस योजना के साथ अपने कदम बढ़ा चुकी है। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली तक प्रदेश में यूसीसी को पूरी तरह लागू करना है।

प्रदेश में यदि यूसीसी विधेयक पारित होकर लागू किया जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद इस कानून को लागू करने वाला वह देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। हालांकि अभी हाल में असम सरकार ने भी विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित किया है, लेकिन इसके लागू होने में अभी कुछ समय लग सकता है। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार सबसे अधिक चर्चा यूसीसी विधेयक को लेकर ही है।

यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल को छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद् गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं।

विहिप ने बताया सामाजिक समानता की दिशा में कदम

विश्व हिंदू परिषद ने यूसीसी विधेयक को लेकर राज्य सरकार की मंशा की प्रशंसा की है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 'मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन सरकार का यह बहुत सार्थक कदम है, समान नागरिक संहिता के माध्यम से राज्य के सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा और समतामूलक समाज की पुनर्प्रतिष्ठा हो सकेगी। इसमें यह गारंटी सुनिश्चित है कि बच्चों एवं खासकर महिलाओं के साथ कानून के स्तर पर कोई भेद नहीं रहेगा। 'बंसल ने कहा, 'देश के कई उच्च न्यायालय और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी कई अवसरों पर 'समान नागरिक संहिता' को आज देश की आवश्यकता बताया था। उसे लागू किया जाना चाहिए, वास्तव में इस निर्णय से मप्र के वासियों को अनेक कानूनी विसंगतियों और दुविधाओं से मुक्ति मिलेगी।'

भाजपा ने बताया यूसीसी देश की जरूरत

भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार की इस मंशा का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश की आवश्यकता है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की बराबरी से जोड़ते हुए कहा कि देश के कई राज्यों ने इस दिशा में पहल की है और अब मध्य प्रदेश भी इसके लिए तैयार है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने यूसीसी का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है, लेकिन इसके स्वरूप और दायरे को लेकर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यदि किसी विशेष समुदाय या जनजातीय वर्ग को इससे अलग रखा जाता है तो फिर इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड का अर्थ सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला कानून है। इसलिए सरकार को सभी वर्गों की राय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मसूद ने संकेत दिया कि कांग्रेस विधायक दल के भीतर इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद पार्टी अपना औपचारिक रुख स्पष्ट करेगी।

मीडिया कर्मी के साथ लूट के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, हथियार बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में अपराधों की रोकथाम और संपत्ति संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के तहत निशातपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदात का मात्र 6 घंटे में खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह के निर्देशों पर पुलिस उपायुक्त जोन-4 आदर्शकांत शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संजीव पाठक तथा सहायक पुलिस आयुक्त अक्षय चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निशातपुरा मनोज पटवा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।पुलिस के अनुसार फरियादी अनुज मैना को डरा-धमकाकर एकता नगर स्थित एक मकान में ले जाया गया, जहां उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में थाना निशातपुरा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 538/26 के तहत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले काजी कैंप क्षेत्र से आरोपी यासीन अली को हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर नादरा बस स्टैंड के पास स्थित एक पान गुमटी से तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया।

बरामदगी : लूटी गई नकदी रुपए 27,500, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक चाकू ,तीन मोबाइल फोन, गिरफ्तार आरोपी मे यासीन अली (22 वर्ष), निवासी एकता नगर, निशातपुरा, फरहान अद्द (19 वर्ष), निवासी कमला नगर, भोपाल, अल्फेस खान (20 वर्ष), निवासी कमला नगर, निशातपुरा, अरहम शेख (18 वर्ष 5 माह), निवासी गैस राहत पीले क्वार्टर, निशातपुरा, शामिल हैं।

भोपाल बार संघ चुनाव में नामांकन फीस 75 प्रतिशत तक बढ़ी, प्रत्याशियों का बिगड़ा गणित

बढ़े शुल्क से आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं की चिंता बढ़ी, चुनाव लड़ना हुआ महंगा

फीस वृद्धि एक नजर में

पद 7	पुरानी फीस	7 नई फीस
अध्यक्ष 7	रु.35,0007	रु.50,000
उपाध्यक्ष 7	रु.30,0007	रु.45,000
सचिव 7	रु. 25,0007	रु.40,000
सह-सचिव 7	रु.20,0007	रु.35,000
कोषाध्यक्ष 7	रु.20,0007	रु.35,000
पुस्तकालयाध्यक्ष7	रु.20,0007	रु.35,000
वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य7	रु.10,0007	रु.15,000
कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य7	रु.5,0007	रु.7,500

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल जिला बार संघ चुनाव इस बार नामांकन शुल्क में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी को लेकर चर्चा में है। विभिन्न पदों के लिए नामांकन फीस में 42 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने से अधिवक्ताओं के बीच असंतोष का माहौल है। कई वकीलों का मानना है कि बढ़ी हुई फीस चुनाव प्रक्रिया को महंगा बना रही है और इससे आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा।

बार संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुल्क की नई दरें सामने आईं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए शुल्क 30 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये तथा सचिव पद के लिए 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी सह-सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष पदों के शुल्क में हुई है। इन पदों के लिए पहले 20 हजार रुपये नामांकन शुल्क निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया गया है। यानी करीब 75 प्रतिशत की वृद्धि। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए शुल्क 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 5 हजार से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है।

नामांकन शुल्क में हुई इस वृद्धि को लेकर अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियनाथ पाठक का कहना है कि फीस में 50 से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि उचित नहीं है। इससे युवा और आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए चुनावी मैदान में उतरना कठिन हो जाएगा। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, न कि आर्थिक बाधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

वहीं सचिव पद के प्रत्याशी अनुराग दुबे ने भी शुल्क वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव पहले से ही खर्चीला होता है। ऐसे में नामांकन फीस बढ़ने से उम्मीदवारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा और कई योग्य अधिवक्ता चुनाव लड़ने से पीछे हट सकते हैं।

इधर चुनावी माहौल के बीच आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। नियमों के अनुसार न्यायालय परिसर में झंडे, बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर उम्मीदवारों के पोस्टर और झंडे दिखाई दे रहे हैं। इससे चुनावी नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि मुख्य चुनाव अधिकारी वासु वासवानी ने शुल्क वृद्धि का बचाव करते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोजन की लागत लगातार बढ़ी है। बारिश के मौसम में वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था, स्टेशनरी और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले खर्च में वृद्धि तथा पिछले दो वर्षों की महंगाई को देखते हुए नामांकन शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

बार संघ चुनाव में नामांकन शुल्क को लेकर शुरू हुई बहस अब चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि शुल्क वृद्धि का चुनावी समीकरणों और उम्मीदवारों की संख्या पर कितना प्रभाव पड़ता है।

जल गुणवत्ता जांच और लीकेज सुधार अभियान लगातार जारी

नप्र, भोपालः नगर निगम भोपाल द्वारा शहरवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण, पाइप लाइन लीकेज सुधार तथा शिकायतों के त्वरित निराकरण का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों से जल परीक्षण के लिए 99 नमूने एकत्र किए। महापौर मालती राय के निर्देश और निगम आयुक्त संस्कृति जैन के आदेश पर 08 परीक्षण शालाओं के माध्यम से जल के नमूनों की जांच की जा रही है। इन नमूनों में गंध, रंग, स्वाद, पीएच स्तर, रेसिडुअल क्लोरीन, टरबिडिटी तथा बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच शामिल है। निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइप लाइनों के 40 लीकेज भी सुधार किए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन, महापौर हेल्पलाइन तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों में से छह शिकायतों का संतोषजनक निराकरण किया गया। नगर निगम के अनुसार अब तक झुग्गी बस्ती क्षेत्रों सहित शहरभर में 22 हजार 349 जल नमूनों की जांच कराई जा चुकी है। इसी अवधि में 6 हजार 334 पाइप लाइन लीकेज सुधारे गए हैं। साथ ही 17 हजार 408 सीवेज चैंबरों की सफाई भी कराई जा चुकी है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

सड़कों पर विचरण कर रहे 33 पशुओं को हटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम भोपाल द्वारा सड़कों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाले पशुओं को हटाने के लिए विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को निगम की गोवर्धन परियोजना शाखा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 28 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा, जबकि पांच पशुओं को उपचार एवं देखभाल के लिए पशु चिकित्सालय आसरा पहुंचाया गया।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत भदभदा, नेहरू नगर, कोटरा, भेल क्षेत्र, दानिश नगर, बागमुगालिया, कटारा हिल्स, अशोका गार्डन, करोद चौराहा, भानपुर, अयोध्या बायपास, मिनाल, लालघाटी, गांधी नगर और एयरपोर्ट क्षेत्र सहित कई स्थानों पर कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाने वाले पशुओं को हटाया गया। इसके अलावा निगम की हाका पार्टी ने भी 13 पशुओं को सड़कों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

भाजपा नेता, समाजसेवी खूबचंद भागचंदानी को जन्मदिन की बधाई दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, झूलेलाल मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष खूबचंद भागचंदानी को जन्म दिन की भाजपाइयों, समाजसेवियों एवं व्यापारियों ने बधाई दी है। साथ ही शॉल, हारफूल पहनाकर यशस्वी जीवन की कामना की। बता दे भागचंदानी भाजपा की गतिविधियों में सक्रियता के साथ, समाजसेवा के क्षेत्र अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाते रहते हैं। जन्म दिन की बधाई देने वालों में समाजसेवी रमेश हिंगोरानी, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश मीरचंदानी, समाजसेवी सुरेश जसवानी, बलराम वाधवानी, अशोक भागचंदानी, कमलेश वालानी, तुलसीराम बड़कतिया, कमल लालवानी, बबलू कुशवाहा, नवल कुशवाहा, सुनील दयारामानी, जगदीश लालवानी, समीर सिंह, रितेश माहेश्वरी, सुरेश भोजवानी, सुनील अहिरवार, मोहन कुंजवानी झूलेलाल मार्केट व्यापारी संघ, भाजपा नेता राजू मीणा, युवा नेता योगेश हिंगोरानी शामिल हैं।

राजावीर मंदिर में नई आरती का विमोचन, सजेगी भजन संध्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः राजधानी के ईसरानी मार्केट स्थित राजावीर मंदिर में 20 जून को एक विशेष धार्मिक आयोजन होगा। मंदिर में साईं राजावीर की एक नई आरती का शुभारंभ और विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे होगी, जिसमें भजन गायक सुनील सत्संगी द्वारा सत्संग और भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद पूरे विधि-विधान के साथ आरती और पल्लव साहब का आयोजन होगा। आयोजन में मेले वाली ड्रेस कोड में शामिल होने का आग्रह मंदिर समिति ने किया है।

डोडा चूरा के साथ दो युवक गिरफ्तार

भोपाल। भोपाल के मिसरोद थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 26.599 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.25 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 16 जून की देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आकृति एक्वा सिटी के पास दो युवक बैग में बड़ी मात्रा में डोडा चूरा लेकर खड़े हैं और उसे कहीं ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

खंड-1
ई-निविदा आमंत्रणसूचना मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय-कार्यालय पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल मध्यप्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 12/ ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक 18.06.2026

1. कार्यालय पर्यावरण वानिकी वनमडंल, भोपाल द्वारा म.प्र. भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है

सामग्री	निविदा दस्तावेजों का मूल्य	सत्यांकर राशि
MS Sheet/Structure :- Thickness of MS Sheet: 2mm Thick Galvanized Sheets MS angle:ISA 40x40x5 @ 3.0 kg/m MS Pipe Section: Square Hollow Section40x40x3.20 @3.49 kg/m as per attached architect design including labour & material.	500/-	11000/-
ACP (Aluminium Composite Panel):- Thickness of ACP Panel: 4 mm Brand of ACP (Aludecor, Viva, Alstone, Eurobond and Pioneer Panels): Alstone & Euroband as per attached architect design including labour & material.		
Stone:- Type of Stone(Granite/Marble/Sand Stone): Sand Stone Engraving/Printing Method (Etching/Vinyl/Paint): Etching as per attached architect design including labour & material.		
Paint:- Paint: After Cleaning Red Oxide Primer+two Coats Synthetic Enamel Paint Synthetic Enamel Paint Brand (Asian/Nerolac/Dulux/ Burger/ Birla Opus): Asian/Dulux/Burger Red Oxide Primer Brand (Asian/ Nerolac/ Dulax/Burger /Birla Opus): Asian/Dulux/Burger		
Foundation:- Foundation Size: It is 450 x450mm M 20 Grade Reinforced Cement Concrete that is 150 mm thick over 100 mm thick Plain Cement Concreate with a 75 mm offset all around RCC. RCC is made up of 10 mm diameter MS bars with 150 mm c/c on both faces. It consists of an RCC column that should be cast 300 mm above NGL and has four 10 mm diameter MS bars and 8 mm diameter MS Bar stirrups at 150 mm c/c.as per attached architect design including labour & material.		

2 निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है ।
3 इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड / इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 18.06.2026 शाम 6.00 बजे से दिनांक. 01.07.2026 शाम 6.00 बजे तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
4 ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
5 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
6 ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल: https://www.mptenders.gov.in/
7 क्रय हेतु आवश्यक की विभिन्न प्रकार के signages की जानकारी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक 8-17 पर दर्शित है।
8 आमंत्रित निविदा के संबंध में निविदाकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श एवं निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु निविदा पूर्व बैठक का आयोजन भौतिक रूप से वनमंडल कार्यालय में दिनांक 25.06. 2026 को समय 12:00pm पर किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगे जिन्होने ई-टेंडर फॉर्म खरीदें है।

वनमंडलाधिकारी,
पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल

जी-14511/26

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
द्वितीय तल. विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश,भोपाल

फोन: (0755) 2551279, E-mail:dagit@mp.gov.in

क्रमांक/आई.टी.-1/UPS क्रय/2026-27/616 **भोपाल, दिनांक 15/06/2026**

निविदा की सूचना

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल में 04 नग- UPS एवं 02 नग - Network Backup UPS (कुल 06 नग PS) का क्रय किये जाने हेतु <https://gem.gov.in/> पर खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित की गई निविदा का कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा संख्या एवं निविदा जारी होने की तारीख	निविदा संख्या: GEM/2026/B/7565823 निविदा दिनांक : 10.06.226	
2.	निविदा बंद होने की तारीख एवं समय	01.07.2026	अपरान्ह 03:00 बजे
3.	तकनीकी निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	01.07.2026	अपरान्ह 03:30 बजे
4.	वित्तीय निविदा खोले जाने की तारीख	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में सफल निविदाकर्ता को GeM portal की प्रक्रिया अनुसार सूचित किया जायेगा।	

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल

जी-14508/26

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा)
मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल (म.प्र.)-462004

क्रमांक एफ 2/2/14/0007/2025/12-1/1474 **भोपाल दिनांक 15/06/2026**

छठम निविदा

म.प्र. मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक-1 में मान0 मंत्रीगणों/अधिकारी कक्षों की नेमप्लेट लिखे जाने संबंधी कार्य हेतु बंद लिफाफा पद्धति में निविदा निर्धारित प्रपत्र में निविदा शर्तों की पूर्ति करते हुए आमंत्रित की जाती है। संलग्न निर्धारित प्रपत्र में निविदा शर्तों की पूर्ति करते हुये निविदा प्रपत्र एक एवं दो पृथक-पृथक लिफाफे में आमंत्रित की जायेगी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1.	निविदा प्रारंभ करने की तिथि व समय	दिनांक 18.06.2026 दोपहर 12:00 बजे से
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 08.07.2026 दोपहर 12:00 बजे तक
3.	निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि व समय	1. टेक्निकल बिड- दिनांक 10.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे। 2. फायनेंशियल बिड- दिनांक 10.07.2026 को दोपहर 12:30 बजे
4.	प्राप्त निविदाओं को खोलने का स्थान	मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक 01 स्थित कक्ष क्रमांक-116 (समिति कक्ष)
5.	निविदाओं को खोलते समय निविदाकारों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।	मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक-01 स्थित कक्ष क्रमांक-116 (समिति कक्ष)

(मनोज श्रीवास्तव)
अवर सचिव (अधीक्षण)
म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग

जी-14519/26